

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
DEPARTMENT OF FINANCIAL SERVICES

LOK SABHA
UNSTARRED QUESTION NO. 3001

TO BE ANSWERED ON 20th MARCH, 2023 (MONDAY)/ PHALGUNA 29, 1944 (SAKA)

BENEFICIARIES UNDER NPS

3001. Shri Malook Nagar:

Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

- (a) the number of beneficiaries of more than sixty years of age under the monthly contributory pension under the National Pension Scheme (NPS), State-wise; and
- (b) the details of Uttar Pradesh in this regard especially of Western Uttar Pradesh?

ANSWER

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE
(DR. BHAGWAT KARAD)

(a) and (b) As informed by Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA), the number of beneficiaries above the age of 60 years, under the National Pension System (NPS) is 5,67,116. This includes beneficiaries who are contributing under NPS after the age of 60 years and those who have exited NPS after the age of 60 years and are receiving annuity. The State/UT-wise details, including Uttar Pradesh, are given at Annexure A.

LOK SABHA UNSTARRED QUESTION NO. 3001

State/UT-wise details of beneficiaries above the age of 60 years of the monthly contribution scheme under the National Pension System (NPS) as on 28.02.2023

S.No.	Name of State	Beneficiaries who are contributing under NPS after the age of 60 years	Beneficiaries who have exited NPS after the age of 60 years and are receiving annuity
1	Andaman & Nicobar Islands	100	45
2	Andhra Pradesh	44,349	3,024
3	Arunachal Pradesh	98	24
4	Assam	10,654	5,277
5	Bihar	19,979	12,225
6	Chandigarh	1,085	266
7	Chhattisgarh	17,461	1,643
8	Dadra and Nagar Haveli	66	22
9	Delhi	11,453	2,819
10	Goa	1,516	178
11	Gujarat	29,575	3,073
12	Haryana	8,091	4,438
13	Himachal Pradesh	2,995	7,599
14	Jammu & Kashmir	1,136	526
15	Jharkhand	13,080	2,385
16	Karnataka	46,355	3,502
17	Kerala	31,687	2,717
18	Ladakh	20	9
19	Lakshadweep	20	7
20	Madhya Pradesh	27,580	3,357
21	Maharashtra	45,062	7,664
22	Manipur	594	87
23	Meghalaya	221	52
24	Mizoram	148	36
25	Nagaland	103	19
26	Odisha	16,175	4,580
27	Puducherry	444	611
28	Punjab	5,448	1,756
29	Rajasthan	15,036	4,094
30	Sikkim	136	216
31	Tamil Nadu	39,900	3,226
32	Telangana	2,572	928
33	Tripura	1,548	60
34	Uttar Pradesh	44,106	11,803
35	Uttarakhand	4,182	1,128
36	West Bengal	30,362	3,394
37	Others*	947	42
	Total	4,74,284	92,832

Source: PFRDA

*Others include those enrolled from Paramilitary forces and Non-Resident Indian subscribers

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
वित्तीय सेवाएं विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3001

जिसका उत्तर 20 मार्च, 2023/29 फाल्गुन, 1944 (शक) को दिया गया

राष्ट्रीय पेंशन योजना के अन्तर्गत लाभार्थी

3001. श्री मल्लूक नागर:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) के तहत मासिक अंशदायी पेंशन के अंतर्गत आने वाले साठ वर्ष से अधिक आयु के लाभार्थियों की राज्य-वार संख्या कितनी है; और
- (ख) इस संबंध में उत्तर प्रदेश, विशेषकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. भागवत कराड)

(क) और (ख): पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के अंतर्गत आने वाले 60 वर्ष की आयु से ऊपर के लाभार्थियों की संख्या 5,67,116 है। इसमें 60 वर्ष की आयु के बाद एनपीएस के अंतर्गत अंशदान करने वाले लाभार्थी और जो 60 वर्ष की आयु के बाद एनपीएस से बाहर आ चुके हैं एवं वार्षिकी प्राप्त कर रहे हैं, शामिल हैं। उत्तर प्रदेश राज्य सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरे को **अनुबंध-क** में दर्शाया गया है।

लोकसभा अतारांकित प्रश्न सं.3001

दिनांक 28.02.2023 की स्थिति के अनुसार राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) योजना के अंतर्गत 60 वर्ष से अधिक आयु के लाभार्थियों के मासिक अंशदान का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य का नाम	60 वर्ष की आयु के बाद एनपीएस के अंतर्गत अंशदान करने वाले लाभार्थी	वैसे लाभार्थी जो 60 वर्ष की आयु के बाद एनपीएस से बाहर आ गए हैं और वार्षिकी प्राप्त कर रहे हैं
1	अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह	100	45
2	आंध्र प्रदेश	44,349	3,024
3	अरुणाचल प्रदेश	98	24
4	असम	10,654	5,277
5	बिहार	19,979	12,225
6	चंडीगढ़	1,085	266
7	छत्तीसगढ़	17,461	1,643
8	दादरा और नगर हवेली	66	22
9	दिल्ली	11,453	2,819
10	गोवा	1,516	178
11	गुजरात	29,575	3,073
12	हरियाणा	8,091	4,438
13	हिमाचल प्रदेश	2,995	7,599
14	जम्मू और कश्मीर	1,136	526
15	झारखंड	13,080	2,385
16	कर्नाटक	46,355	3,502
17	केरल	31,687	2,717
18	लद्दाख	20	9
19	लक्षद्वीप	20	7
20	मध्य प्रदेश	27,580	3,357
21	महाराष्ट्र	45,062	7,664
22	मणिपुर	594	87
23	मेघालय	221	52
24	मिजोरम	148	36
25	नागालैंड	103	19
26	ओडिशा	16,175	4,580
27	पुदुचेरी	444	611
28	पंजाब	5,448	1,756
29	राजस्थान	15,036	4,094
30	सिक्किम	136	216
31	तमिलनाडु	39,900	3,226
32	तेलंगाना	2,572	928
33	त्रिपुरा	1,548	60
34	उत्तर प्रदेश	44,106	11,803
35	उत्तराखंड	4,182	1,128
36	पश्चिम बंगाल	30,362	3,394
37	अन्य*	947	42
	कुल	4,74,284	92,832

स्रोत: पीएफआरडीए

*अन्य में अर्धसैनिक बलों से नामांकित व्यक्ति और अनिवासी भारतीय अभिदाता शामिल हैं।